राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

–:आदेश:–

दिनांक 23-02-2024

प्रार्थीगण श्री आदित्यप्रतापसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी फालना स्टेशन, श्रीमति अमिता पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी बीकानेर के खातेदारी भूमि की मौका स्थिति अनुसार खसरा नंबर की अदला–बदली हेतू प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का बिसलपुर एवं तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम बिसलुपर स्थित भूमि खसरा नंबर 1297 रकबा 0.75 हैक्टर व खसरा नंबर 2653/1282 रकबा 0.13 हैक्टर कुल रकबा 0.88 हैक्टर का Interchange करते हुए प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि बिसलपुर के खसरा नंबर 1282/1 रकबा 0.88 हैक्टर को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली व नजरी नक्शा पटवारी हल्का बिसलपुर के अनुरूप राजस्व रेकॅर्ड व नक्शे में तरमीम के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

क्रमांक :– कोर्ट/2024/280-283 दिनांक :– 04-03-2024

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का बिसलपुर
3. प्रार्थीगण श्री आदित्यप्रतापसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी फालना स्टेशन एवं श्रीमति अमिता पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रेल्वे कॉलोनी बीकानेर को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

सवाम,

सं०
24/01/24

श्रीमान तहसीलदार साहब
बाली

विषय।- श्रीमान SDM सा. बाली के न्यायालय मे दर्ज प्रकरण सं SSMS NO 2023/287 अनवान आदित्यप्रताप सिंह बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 136 LR act 1956 मे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने बाबत

प्रसंग।- श्रीमानजी के पत्रांक/भू.अ./2024/194 दि० 24/1/24 की पालना मे

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान SDM सा. बाली के न्यायालय मे दर्ज प्रकरण सं SSMS NO. 2023/287 अनवान आदित्यप्रताप सिंह बनाम तहसीलदार बाली मे वादनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है।

(1) सरहद मौजा बिसलपुर तह- बाली मे स्थित कृषि भूमि खत खसरा नं 1282/1 रकबा 0.88 हे० किस्म बा सो में आदित्य प्रताप सिंह S/o जयसिंह व अमिता पत्नि सुरेन्द्र सिंह का नाम दर्ज है।

(2) प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि क्रय की थी जिसका नाक. 2696 दि. 21/04/22 व 2749 दि. 27/7/22 दर्ज हुआ। तब से क्रय किये गयी भूमि पर ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है।

(3) प्रार्थीगण के रास्ता संबंधि विवाद होने पर मौका देखा गया जब पता चला कि प्रार्थीगण की क्रय की गयी भूमि व वर्तमान कब्जा मे अन्तर है तब प्रार्थीगण को सीमान्कन आदेश करवाने का कहा गया।

(4) श्रीमान तहसीलदार साहब बाली के आदेश क्रमांक/71/10.10.23 की पालना मे प्रार्थीगण के खसरा सं 1282/1 रकबा 0.88 है का सीमान्कन

PTO

⑤ सीमाज्ञान करने पर ज्ञात हुआ कि 1282/1 रकबा 0.88 है० का 3/4 हिस्सा बांध के अन्दर व 1/4 हिस्सा बाहर आ रहा है जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है. प्रार्थीगण का वर्तमान कब्जा खसरा नं. 1297 रकबा 0.75 है० व 2653/1282 मे है। ख.नं. 1282/1 का 3/4 भाग तालाब मे आ रहा है. जहां प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है।

⑥ गत रेकर्ड जमाबंदी का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नं 1282 मे 0.88 है० भूमि फौजा पुत्र पुना कौम सुथार को आवंटन होने से नाम० से० 259 दि० 3.8.92 के अनुसार आवंटी के नाम भूमि बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई।

⑦ कालान्तर मे बेचान होते हुए वर्तमान खातेदार प्रार्थीगणो के नाम रेकर्ड दर्ज है.

चुंकि आवंटी को भूमि ख. नं. 1282 मे आवंटित हुई थी, मौके पर ख० नं० 1282 मे 0.13 है० पर प्रार्थीगण काबिज है एवं शेष कब्जा ख. नं. 1297 पर है। जो बिलानाम सि-वाय चक दर्ज है.

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की तरमीम शुद्धि हेतु अन्तर्गत धारा 136 LR act 1956 के तहत करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिसकी चाही गयी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तैयार कर वास्ते जवाब अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमानजी की सेवा मे प्रेषित है।

[signature]
प० बिसलपुर

Scanned by CamScanner

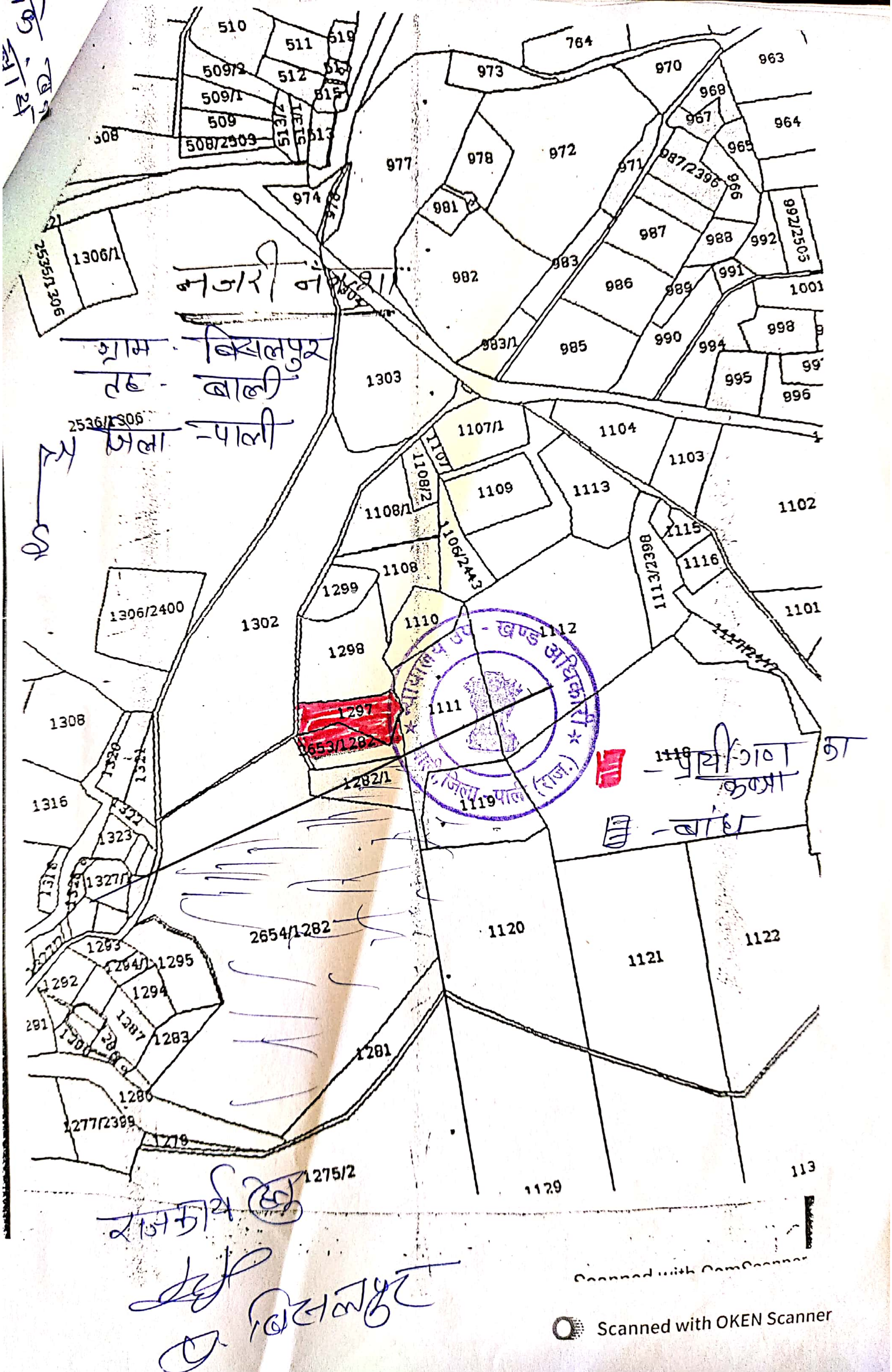

Scanned with OKEN Scanner
Scanned by CamScanner